न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 38/2019

प्रार्थी

लालाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी रामासनी तहसील बिलाडा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भोमाराम
   (ए) ढगलाराम पिसरान आईदानराम
   (बी) भोलीदेवी पुत्री आईदानराम
2. कानाराम पिसरान मोडाराम
3. उगमाराम पुत्र अचलाराम जातियान मेघवाल निवासी रामासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा कार्यालय भावी तहसील बिलांडा
5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री डी.डी.रामावत अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1ए, 1बी, 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी सं. 5– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक** 28/09/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा सं. 67 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं. 203 रकबा 37 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 67 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी अवल जो जमाबन्दी के खाता सं. 12 पर दर्ज है तथा खसरा सं. 64/1 रकबा 15 बीघा, ख़सरा सं. 123/1 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं. 124 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं. 238 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 64 रकबा 02 बिस्वा जो जमाबन्दी के खाता सं. 2 पर दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा सं. 64/4 रकबा 15 बीघा खसरा सं. 102 रकबा 24 बीघा 03 विस्वा,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा सं. 239 रकबा 28 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरां 3 कुल रकबा 67 बीघा 12 बिस्वा जो इस गांव के जमाबन्दी में खाता सं. 11 पर दर्ज है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में से खसरा सं. 123, 238 व 239 इत्यादि जमीन के पूर्व के खसरा सं. भिन्न थे तथा कालान्तर में चकबन्दी में वादग्रस्त भूमि के मौजूदा नम्बर कायम किये गये उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी कब्जा काश्त की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 स्व. श्री मोडारामजी के उतराधिकारीगण है जिनमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 स्व. श्री मोडारामजी के पुत्रगण है तथा अप्रार्थीगण सं. 3 मोडारामजी के पूर्वमृत पुत्र अचलाराम का जायन्दा पुत्र है व स्व. श्री मोडारामजी का पौत्र है। स्व. श्री मोडारामजी के जीवनकाल में ही पक्षकारान बतौर संयुक्त हिन्दू परिवार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहे तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का एवं पक्षकारान के परिवार की अन्य जायदाद के संबंध में आज दिन तक मौके पर विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा पक्षकारान सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर बतौर सहखातेदार काबिज रहकर लगान की अदायगी करते आये है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 का बराबर–बराबर हिस्सा है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि उक्तानुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी जायदाद है लेकिन बस्तोबस्त विभाग द्वारा चकबन्दी (एकीकरण) के दौरान सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से खसरा सं. 67 व 203 स्व. श्री मोडारामजी के नाम दर्ज की गई तथा उनके मरणोपरान्त उक्त भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज कर ली गई तथा अन्य सम्पूर्ण भूमि में से खसरा सं. 64 की कुल 30 बीघा भूमि जो प्रार्थी व उसके पिता के कब्जे में रही है। जिसमें से 15 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 3 के पिता एवं मोडारामजी का पुत्र अचलाराम के नाम दर्ज कर ली गई तथा इसके साथ अन्य भूमि खसरा सं. 123/1, 124, 238 तद्नुसार कुल खसरा 4 कुल रकबा 64 बीघा 02 बिस्वा जमीन भी स्व. अचलाराम के नाम दर्ज कर ली गई। इसी क्रम में खसरा सं. 64 में से 15 बीघा भूमि तथा खसरा सं. 102 व 239 की कुल 67 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दोषपूर्ण रीति से दर्ज कर ली गई। जो राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक बदस्तुर कायम है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही पूर्व पुरुष स्व. मोडारामजी की संतान है तथा आज दिन तक सामलात में काश्त करते है। उनके बीच रक्त संबंधी निकट रिश्ता होने तथा मौके पर जमीन के कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं होने के कारण वादी ने आज दिन तक अप्रार्थीगण पर भरोसा किया। प्रार्थी 75 वर्षीय वृद्ध अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके जायन्दा कोई पुत्र पुत्री नहीं है। जिसके चलते अप्रार्थीगण की नियत शुरू से ही बद रही तथा उन्होने प्रार्थी को भरोसे मे रखा कि सम्पूर्ण जमीन प्रार्थी की ही है। उसके कहेनुसार राजस्व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अभियान में जमीन उसके नाम दर्ज करवा देगे व बंटवाड़ा भी कर लेगे। इस पर प्रार्थी ने अपने परिवार के निकट संबंधियों पर भरोसा किया एवं समय–समय पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उसके बंट की भूमि अलग बंटवाड़े में देकर उसके नाम दर्ज करवाने क़ा कहने पर अप्रार्थीगण उसे दिलासा देते रहे। कालान्तर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को अप्रार्थीगण की संतान में से किसी को गोद लेने हेतु दबाव बनाया तथा प्रार्थी ने इस पर समय रहते जबाव देने का कहा तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये व ऐलानिया कहा कि प्रार्थी जब तक अप्रार्थीगण के कहेनुसार किसी उत्तराधिकारी को गोद नहीं लेता, तब तक वे बंटवाड़ा नहीं करेगे। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के साथ मौतबीर व्यक्तियों के साथ भरपूर समझाईश की फिर भी नहीं माने तथा हाल ही में दिनांक 20–06–2019 को अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में ऐलानिया इंकार कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से में प्रार्थी को काश्त नहीं करने हेतु धमकाया। अंप्रार्थीगण का ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से हर संभव वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सुलह का प्रयास किया तथा माफिक हिस्सा प्रार्थी का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज करने का कहा फिर भी अप्रार्थीगण अपने अड़ियल रवैये पर कायम है एवं अन्ततः उसने दिनांक 20–06–2019 को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को इन्कार कर दिया तथा उसे जबरन बेदखल करने की ऐलानिया धमकिया दी जिस पर वाद कारण प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण बमुकाम रामासनी उत्पन्न हुआ जो सतत् जारी है। जिस पर प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट अलग से माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थी को पूरी आशा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त जमीन के किसी भी हिस्से में कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने तथा उसके आगे बैचान व्ययनीत प्रभारित नहीं करने व प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि में संयुक्त कब्जे काश्त में किसी भी रीति से दखल नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा के पाबन्द किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 17.12.2019 को अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1ए, 1बी को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर दिनाक 12.04.2022 को अप्रार्थी सं. 1ए, 1बी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 प्रार्थना पत्र में भूमि का विवरण है जो सही है। पद सं. 2 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 123, 238, 239 के भूमि के पूर्व में क्या खसरा नम्बर भिन्न थे तथा कालान्तर में चकबन्दी में विवादग्रस्त भूमि के कब मौजूदा नम्बर कायम किये गये है प्रार्थी ने दावे में स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की विवादग्रस्त भूमि कभी भी सयुक्त खातेदारी की नहीं रही है। मोडाराम जी के देहान्त एवं उनके उत्तराधिकारियों के बारे में तथा अचलाराम के देहान्त एवं उनके उत्तराधिकारियों के बारे में लिखा है जो सही है. लेकिन मोडाराम जी के जीवनकाल में उनके पुत्र लालाराम, आईदानराम, कानाराम, अचलाराम अलग अलग रहते थे। लालाराम, आईदानराम, कानाराम, अचलाराम पिसरान मोडाराम का सयुक्त हिन्दू परिवार कभी नहीं रहा है तथा विवादग्रस्त भूमि पर कभी शामलाती काबिज नही रहे। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि में जब कोई हक व अधिकार ही नहीं है तो उन्हे बंटवाडा कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है तथा न ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा सयुक्त खातेदारी के रूप में लगान की अदायगी की गयी है तथा न ही सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का बराबर बराबर हिस्सा है। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन बिल्कुल गलत है कि विवादग्रस्त भूमि सयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी जायदाद है। प्रार्थी तथा उसके पिता मोडाराम के कोई खसरा नम्बर 64 रकबा 30 बीघा भूमि कब्जे की नही रही है तथा खसरा नम्बर 123/1, 124, 238 की भूमि अचलाराम के नाम से तथा खसरा नम्बर 102, 239 की भूमि आईदानराम के नाम से कभी भी दोषपूर्ण रीति से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सयुक्त नाम से राजस्व रेकर्ड आज दिन तक कायम है। प्रार्थी ने दावे में राजस्व रेकर्ड के तथ्यों को छुपाया है, सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मोडाराम जी के जीवनकाल में ही अलग अलग रहते थे एवं उनका कारोबार अलग था। सेटलमेन्ट के समय जिस व्यक्ति

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का भूमि पर कब्जा था. उन्ही काबिज व्यक्तियों के नाम से सेटलमेन्ट अधिकारियों ने खतौनी बंदोबस्त जारी कर उन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इसी आधार पर ही सेटलमेन्ट के समय खसरा नम्बर 124, 238 की भूमि पर कब्जा व काश्त अप्रार्थी संख्या 3 के पिता अचलाराम का होने पर अचलाराम के नाम से खतौनी बन्दोबस्त जारी की गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 64 रकबा 15 बीघा पर कब्जा व काश्त अप्रार्थी संख्या 3 के पिता अचलाराम का होने से अचलाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज की गयी तथा खसरा नम्बर 123/1 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थी संख्या 3 के पिता अचलाराम को आवंटन हुयी थी। इन्ही आधारों पर खसरा नम्बर 102, 239 की भूमि पर सेटलमेन्ट के समय अप्रार्थी संख्या 1 आईदानराम पुत्र मोडाराम का कब्जा व काश्त होने पर उनके नाम से खतौनी बंदोबस्त जारी की गयी है तथा खसरा नम्बर 64 मी रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 आईदान के नाम से हुआ, उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 आईदान की खसरा नम्बर 64 मी रकबा 15 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वक्त सेटलमेन्ट से विधि अनुसार भूमि पर अलग अलग काबिज है। पद संख्या 4 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की कभी भी सयुक्त खातेदारी की नही रही है। विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण के साथ में प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई हिस्सा नही रहा। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 124, 238, 102, 239 कब्जे अनुसार सही खतौनी बंदोबस्त को जारी की गयी है तथा खसरा नम्बर 123/1, 64 कब्जे अनुसार आवंटन किया गया। इस कारण खतौनी बन्दोबस्त व आवंटन के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज किये है जो सही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 3 के दादा मोडाराम उस समय इस भूमि के सहखातेदार नही थे. इसी कारण प्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता मोडाराम के जीवनकाल में इस पर कभी कोई आपति नही की। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का कभी सयुक्त परिवार नही रहा। प्रार्थी शुरू से ही अलग रहते थे एवं उनका कारोबार अलंग था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का कभी सयुक्त रहवास नही रहा। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कब्जे अनुसार अप्रार्थीगण के नाम भूमि को खतौनी बंदोबस्त में इन्द्राज की गयी थी, जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही है. प्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि पर कभी काश्त नहीं की है। प्रार्थी स्वयं 75 वर्ष का है, उसने अपने पिता मोडाराम के जीवनकाल में कोई आपति नहीं की है. अब 63 वर्ष बाद उसे आपति करने का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी ने किसी के बहकावे में आकर गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा किया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी की है तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने कभी भी राजस्व अभियान में विवादग्रस्त भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज कराने का कोई आश्वासन नही दिया तथा न ही अप्रार्थी की संतान को गोद लेने का प्रार्थी पर दबाव बनाया गया है। अप्रार्थीगण के नाम खतौनी बंदोबस्त विधि अनुसार जारी की गयी है। अप्रार्थीगण अपनी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कभी कोई धमकी नही दी। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि में जब कोई हक हिस्सा एवं कब्जा नहीं है तो प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, प्रार्थी ने मनघडण्त तथ्यों का आधार बनाकर झूठा दावा पेश किया है, जो खारीज किये ज़ाने योग्य है। पद संख्या 5 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को अपने दावे में कोई सफलता मिलने की उम्मीद नही है। पद संख्या 6 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नही बनता है तथा न ही तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी। अप्राथी सं. 3 ने अतिरिक्त आपतिया पेश की जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। अतः रेकर्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अतः बीना कब्जेकाश्त के प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थी का दावा ही विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः जवाब अप्रार्थी संख्या 3 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम रामासनी में स्थित

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 स्व.श्री मोडाराम के उतराधिकारीगण है जिनमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 स्व.श्री मोडाराम के पुत्रगण है तथा अप्रार्थीगण सं. 3 स्व. श्री मोडाराम का पौत्र है। राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा नं. 67 व 203 स्व. श्री मोडाराम के नाम दर्ज थी। लेकिन खसरा नंबर 64/1, 123/1, 124, 238 राजस्व रेकर्ड में अचलाराम के नाम दर्ज कर ली गई। इसी प्रकार खसरा नंबर 64/4, 102, 239 राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दोषपूर्ण रीति से दर्ज कर ली गई। अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी ने सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया और सेटलमेन्ट के समय जिस व्यक्ति का भूमि पर कब्जा था उन्ही काबिज व्यक्तियों के नाम से सेटलमेंट अधिकारियों ने खतौनी बंदोबस्त जारी कर उन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। सेटलमेन्ट के समय खसरा नंबर 124, 238 व खसरा नंबर 64 रकबा 15 बीघा की भूमि पर कब्जा व काश्त अप्रार्थी सं. 3 के पिता अचलाराम का होने से खतौनी बन्दोबस्त जारी की गई। तथा खसरा नंबर 123/1 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा का आंवटन अप्रार्थी सं. 3 के पिता अचलाराम को आवंटन हुयी थी। इसी प्रकार खसरा नंबर 102, 239 की भूमि पर सेटलमेन्ट के समय अप्रार्थी सं. 1 आईदानराम पुत्र मोडाराम का कब्जा व काश्त होने पर उनके नाम से खतौनी बंदोबस्त जारी की गयी है तथा खसरा नंबर 64 मी रकबा 15 बिघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं. 1 आईदान के नाम से हुआ उसी आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गयी। अप्रार्थी सं. 1 से 3 वक्त सेटलमेन्ट से विधि अनुसार भूमि पर अलग–अलग काबिज है। प्रार्थी ने अपने पिता के जीवनकाल में कभी कोई आपति प्रकट नहीं की।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 67, 203 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसी प्रकार खसरा नंबर 64/1, 123/1, 124, 238, 239, 102, 64/4 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है और न ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी आदि पेश किया गया कि उक्त खसरों की भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। इस कारण मेरे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध साबित होते है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 28/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा